दिनांक–22.04.2026 को निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (2) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति:–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 7766 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से प्रतिवेदित माह में 99 अंत्येष्टि की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित अवधि के अंदर 98 मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत की गयी है। सभी DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि शमशाम/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के मृतकों का मृत्यु प्रमाण–पत्र 24 घंटे के अन्दर मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित मुखिया द्वारा मोक्षधाम/शवदाह–गृह के निर्माण हेतु GPDP में शामिल कराने का अनुरोध किया गया। प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत में मोक्षधाम/शवदाह–गृह का निर्माण पंचायत समिति के द्वारा किया जाना है, इसलिए इसे BPDP में शामिल कराने का अनुरोध किया गया।

विभाग के द्वारा प्रेषित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर स्थल विशिष्ट (Site Specific) प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार मोक्षधाम/शवदाह–गृह का निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

कृ0पृ0उ0.....

निर्गत किये गये मृत्यु प्रमाण–पत्र से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल तैयार किया गया है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इससे संबंधित सभी जानकारियों को पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण एवं क्रियाशीलता की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया, परन्तु गया जी, समस्तीपुर, भागलपुर, पटना, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 2912 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2414 पंचायत सरकार भवन संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 102 में बैंक, 2407 में RTPS केन्द्र, 903 में Post Office, 376 में NOFN, 766 में पुस्तकालय एवं 14 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 724 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 580 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति तथा 354 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर सभी पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति लेना सुनिश्चित किया जाए तथा जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों मे निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

कतिपय यह पाया गया है कि तकनाकी सहायक द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन को जब LAEO के मुख्य/कार्यपालक/अधीक्षण अभियंता को तकनीकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो उसमे कुछ कमियों को उजागर कर वापस कर दिया जाता है जिससे पंचायत सरकार भवन के निर्माण में अनावश्यक विलंब होता है। सभी DPRO को निदेश दिया जाता है कि संबंधित तकनीकी सहायक को संबंधित अभियंता के पास भेजकर त्रुटियों का निराकरण हाथों–हाथ कराना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–31.03.2026 तक चतुर्थ चरण मे सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना था परंतु अद्यतन स्थिति तक भागलपुर में एक भी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में भागलपुर के DPRO को निदेश दिया गया कि एकरारनामा की शर्तो के अनुसार संबंधित एजेंसी पर Penalty लगाकर विभाग को सूचित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि अप्रैल माह के अंत तक शत–प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाए।

चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी द्वारा भागलपुर में 0%, मधेपुरा में 42% एवं बेगूसराय में 58% ही Material Supply की गयी है। इन सभी जिलो के DPRO को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख). सभी चरणों को मिलाकर मधेपुरा, भागलपुर, सहरसा, जमुई, सारण एवं पूर्वी चंपारण जिलों में कार्यादेश के विरूद्ध अधिष्ठापन का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में शेष सोलर स्ट्रीट लाईट को चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी को हस्तांतरित करते हुए 15 दिनों के अंदर अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी DPRO यह सुनिश्चित करे कि CMS का dashboard उनके कार्यालय कक्ष में होना चाहिए। सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन के उपरान्त CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि मानी जाए। साथ ही समय–समय पर field inspection कराकर CMS पर प्रदर्शित आकड़ो का भी मिलान करा लिया जाए ताकि Data manipulation पर रोक लगाई जा सके।

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु जिला स्तर पर LED Display Pannel यथाशीघ्र लगाया जाय ताकि आम जनमानस को भी सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके संबंध में आवंटन पूर्व में ही भेजा जा चुका है।

(ग). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, जहानाबाद, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, पटना, सारण, सहरसा एवं बक्सर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न् है। इन सभी जिलों

लगातार.....

के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि ग्राम पंचायत सर्वप्रथम सोलर स्ट्रीट लाईट का भुगतान सुनिश्चित करेंगें। सोलर स्ट्रीट लाईट के भुगतान के उपरांत ही अन्य योजनाओं का भुगतान करेंगें।

(घ). पंचायत सचिव द्वारा निरीक्षण किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूरे बिहार में निरीक्षण के समय मात्र 85% लाईट ही ON पायी गयी जिसमें से मधेपुरा, बक्सर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर एवं वैशाली जिले की स्थिति चिंताजनक है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि Service Centre का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थितिः–

विदित हो कि दिनांक–15.04.2026 से 2000 पंचायतो में आधार सेवा शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1703 पंचायतों में Desktop, 78 पंचायतों में Wired Internet Connection उपलब्ध है। सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि 15 दिनों के अंदर आधार सेवा शुरू करने हेतु पंचायतों में बचे हुए कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

लक्ष्य को देखते हुए सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अबिलंव पंचायत से आधार किट क्रय कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही जिन पंचायतो में Wired Internet Connection उपलब्ध नहीं है वहां यथाशीघ्र Internet Connection install करना सुनिश्चित करेंगें। सभी संबंधित कार्यपालक सहायक को LMS पर प्रशिक्षण कर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया। इसकी प्रक्रिया विस्तृत रूप से बताया गया है।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. पंचायत सचिव के प्रभार संबंधी प्रतिवेदन–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 3133 पंचायत सचिवों के विरूद्ध मात्र 715 ही कार्यरत है। शेष 2418 पंचायत सचिव हड़ताल पर है। हड़ताल पर गये पंचायत सचिव के स्थान पर 725 कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार दी गयी है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में पंचायत सचिव हड़ताल पर गये हुए है, वहाँ पे अन्य कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

04/05/26

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/6881/पं०रा० पटना, दिनांक06/5/2026
प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/6881/पं०रा० पटना, दिनांक06/5/2026
प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/6881/पं०रा० पटना, दिनांक06/5/2026
प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

5.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव